झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–62 वर्ष 2017

फूलचंद उराँव, पे0–स्वर्गीय अघनु उराँव, निवासी ग्राम–बरसांग, डाकघर एवं थाना–घाघरा, जिला–गुमला, अपने प्राकृतिक अभिभावक एवं माता टेप्रो उराँईन, पत्नी–स्वर्गीय अघनु उराँव, निवासी ग्राम–बरसांग, डाकघर एवं थाना–घाघरा, जिला–गुमला के माध्यम से।

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पार्टी

उपस्थित : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री मोहित प्रकाश, अधिवक्ता।

विपक्षी पार्टी के लिएः– श्री नागमणि तिवारी, ए0पी0पी0।

3/24.01.2017 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहित प्रकाश एवं राज्य के तरफ से उपस्थित विद्वान ए0पी0पी0 को सुना गया।

इस आवेदन में याचिकाकर्ता ने विद्वान सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा आपराधिक अपील संख्या 43/2016 में पारित दिनांक 18.11.2016 के आदेशों को चुनौती दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा घाघरा थाना काण्ड संख्या 16/2014 में विद्वान प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, गुमला द्वारा दिनांक 06.09.2016 को पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई अपील खारिज कर दी गई है।

यह कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप सामान्य और सार्विक प्रकृति का है और वास्तव में मुख्य आरोपी सुखमन उराँव जिसे किशोर भी घोषित किया गया था, को इस आदलत द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण 112/2015 में पहले ही जमानत दे दी गई है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता की मां याचिकाकर्ता की जिम्मेदारी लेगी और उसे किसी भी अवांछित तत्व के संपर्क में नहीं आने देगी। उसने आगे प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता दिनांक 20.08.2014 से हिरासत में है।

विद्वान ए0पी0पी0 ने जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया।

ऐसा प्रतीत होता है कि सह–अभियुक्तों में से एक अभियुक्त सुखमन उरांव को आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 112/2015 में पहले ही जमानत दी जा चुकी है और याचिकाकर्ता लगभग ढ़ाई साल तक हिरासत में रहा है। निचली अदालत द्वारा जमानत के लिए की गई प्रार्थना को अस्वीकार करते समय ऐसी परिस्थितियों को उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है।

तदनुसार, दिनांक 18.11.2016 और 06.09.2016 के आदेशों को रद्द करते हुए, इस आवेदन को अनुमति दी जाती है।

उपर्युक्त नामित याचिकाकर्ता को घाघरा थाना काण्ड संख्या 16/2014, एस0पी0टी0 जी0आर0 संख्या 236/2014 के अनुरूप के संबंध में प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, गुमला की संतुष्टि हेतु समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ 10,000/– (दस हजार) रूपया का जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत इस शर्त पर दिया जाता

है कि याचिकाकर्ता के पिता, याचिकाकर्ता को एक सुरक्षित स्थान पर रखेगा और उसे किसी भी बुरे तत्व से मिलने की अनुमति नहीं देगा और आगे जांच की समाप्ति तक, संबंधित मामले में प्रत्येक निर्धारित तारीख को याचिकाकर्ता को किशोर न्याय बोर्ड, गुमला के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)